# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

**अपील संख्या – 1282/2011/उदयपुर**

मैसर्स शिव स्टोन एण्ड मार्बल सप्लायर्स,
उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–''बी'', वार्ड–तृतीय, उदयपुर। .....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**
**श्री अमर सिंह– सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री श्याम सिंघवी,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 16/01/2014**

## निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 130/वैट/2010–11 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 27.05.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, वृत्त–बी, उदयपुर (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2010 में प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम मांग राशि को यथावत रखने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी स्टोन/मार्बल का व्यापार करता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2007–08 के लिये चुकाये गये कर का प्रपत्र वैट–7 प्रस्तुत कर मुजरा चाहा गया है जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 18(2) व 18(3) की पालना नहीं की गई है। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश दिनांक 22.02.2010 के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.05.2011 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2010 को उचित माना तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश दिनांक 27.05.2011 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवासायी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी व्यवसायी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा कासिया पट्टी का व्यवसाय किया जाता है जिसमें व्यवसायी द्वारा प्रपत्र आलौच्य अवधि में खरीद की गई पट्टी पर चुकाये गये कर का मुजरा नहीं दिया गया है। जिसे दिलाया जाये। अपने तर्क के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय एकलपीठ द्वारा पारित अपील संख्या 997/2011/उदयपुर मैसर्स सिरोया सीमेन्ट उद्योग, उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, उदयपुर निर्णय दिनांक 18.02.2013 का हवाला देते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिसम्मत बताते हुए अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्टोन की खरीद वाहन चालकों से की गयी है। वाहन चालकों द्वारा विभाग के अधिकृत ठेकेदार को चैक पोस्ट पर कर चुका दिया गया था। वह रसीद उसके पास है। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन रसीदों के आधार पर समायोजन नहीं दिया है क्योंकि वैट अधिनियम की धारा 18 की पालना नहीं हुई है। परन्तु यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि पत्थरों का व्यवसाय अपंजीकृत व्यवहारियों के हाथ में है और चैक पोस्ट पर अधिकृत ठेकेदार वाहन चालकों से कर वसूल कर लेता है। यदि उक्त मूल रसीद अपीलार्थी के पास है एवं उसकी खरीद व बिक्री अपीलार्थी की लेखा पुस्तकों में दर्ज है तो उसको जमा कर का समायोजन दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में उद्धरत निर्णय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की अपील संख्या 997/2011/उदयपुर मैसर्स सिरोया सीमेन्ट उद्योग, उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, उदयपुर निर्णय दिनांक 18.02.2013 के तथ्य भी मेल खाते है। अतः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि यदि व्यवहारी की लेखा पुस्तकों में प्रस्तुत रसीदों की खरीद बिक्री दर्ज होना प्रमाणित हो तथा मूल रसीद पेश की गयी हो तो उन खरीदों का कर जमा का सत्यापन होने के बाद व्यवहारी को जमा कर का समायोजन अग्रिम जमा कर के रूप में दे दिया जावें। अतः उक्त निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

16-1-14

**( अमर सिंह )**
**सदस्य**